# असम समझौता

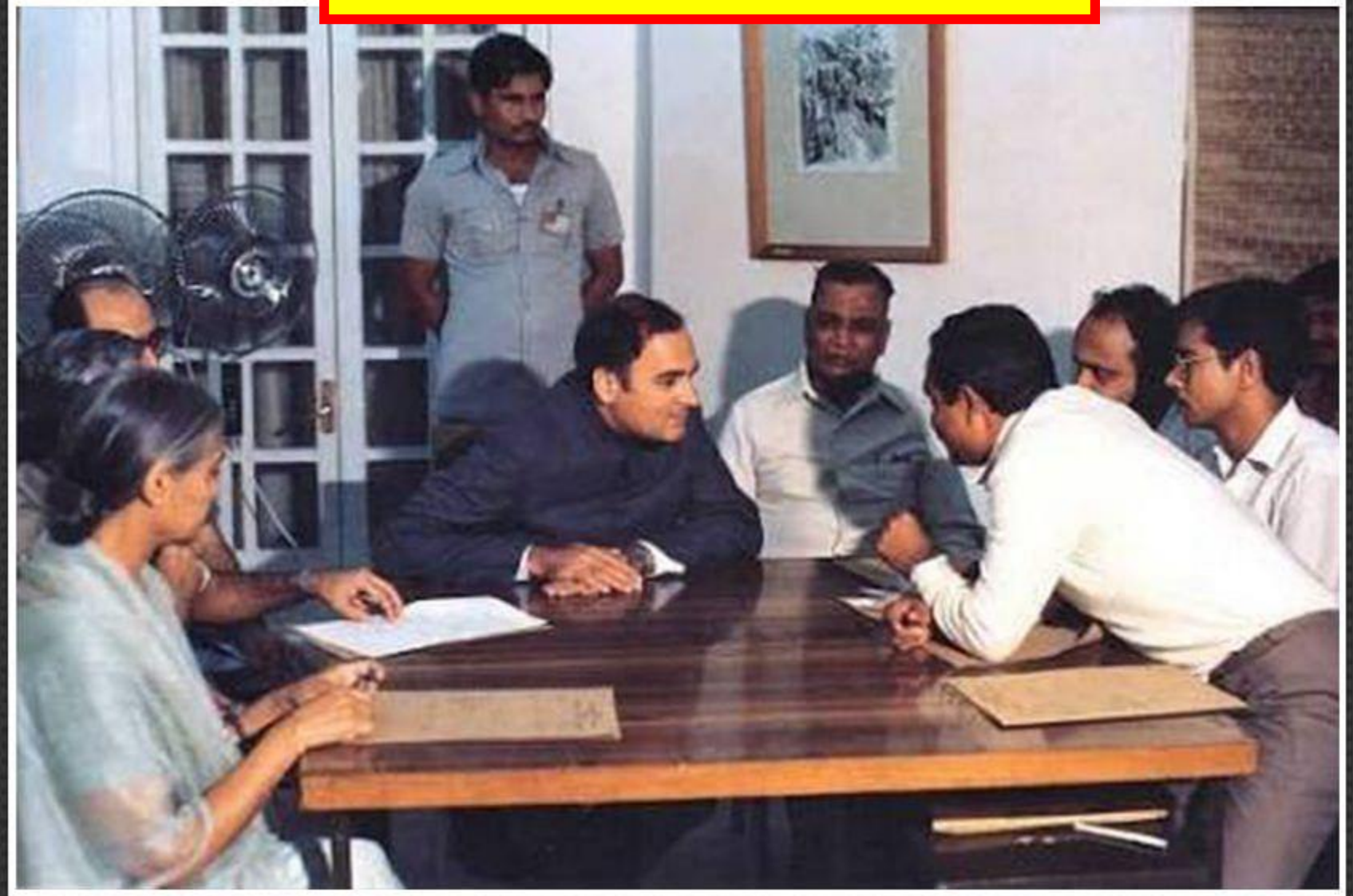

Result Mitra

## हालिया संदर्भ :

- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU)के साथ बैठक के बाद असम समझौते के खंड–6 में न्याय मूर्ति विप्लव सरमा समिति की 52 से सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए प्रयास शुरू कर दिया।
- यह प्रयास केंद्र द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति की अंतिम रिपोर्ट 2020 में सौंपे जाने के चार साल बाद शुरू हुआ है।
- CM के अनुसार समिति की 15 सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन्हें लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी।

## असम समझौता :

- असम में घुसपैठियों के खिलाफ लंबे चले आंदोलन एवं संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1985 को केंद्र सरकार एवं आंदोलनकारियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे 'असम समझौता' नाम दिया गया।
- यह समझौता AASU एवं अन्य संगठनों तथा केंद्र सरकार के बीच संपन्न हुआ था।

## समझौते के प्रावधान :

- 25 मार्च 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिक (हिंदू एवं मुसलमान सभी) को असम से जाना होगा।
- 1951–1961 के बीच असम में आए सभी लोगों को मतदान देने का अधिकार एवं पूर्ण नागरिकता प्राप्त होगा।
- 1961–1971 के बीच आने वाले को नागरिकता सहित अन्य अधिकार मिलेंगे लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

**खंड–6 :**

- इस खंड में प्रावधान है कि संवैधानिक, विधायी एवं प्रशासनिक उपाय सहित असमिया लोगों को सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी एवं विरासत की रक्षा, संरक्षण आदि प्रदान किए जाएंगे।
- जुलाई 2019 में गृह मंत्रालय ने इस खंड के प्रावधानों को लागू करने के लिए सलाह देने के लिए असम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विप्लव सरमा की अध्यक्षता में 14 सदस्य समिति का गठन किया था।
- 2020 में यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय के बजाय असम के तत्कालीन सीएम सर्वानंद सोनोवाल को प्राप्त हुई।

- समिति ने असमिया लोगों की परिभाषा में स्वदेशी आदिवासी, असम के अन्य स्वदेशी समुदाय, 1 जनवरी 1951 से पूर्व असम में रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनके वंशज को शामिल किया।
- समिति ने 'असमिया लोगों' के लिए संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकायों एवं नौकरियों सहित कई अन्य क्षेत्रों में आरक्षण की सिफारिश की।

Result Mitra

## सिफारिश का क्रियान्वयन :

- सीएम ने कहा कि समिति की 67 प्रमुख सिफारिशों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है।
- 40 सिफारिश राज्य सरकार के विशेष अधिकार में आते हैं, 12 सिफारिशों के लिए केंद्र सरकार की सहमति आवश्यक होगी, जबकि 15 केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।
- सीएम के अनुसार पहले दो श्रेणी के 52 सिफारिशों को अप्रैल 2025 तक लागू किया जाएगा।

Result Mitra

## प्रमुख सिफारिशें :

- राजस्व मंडल बनाना तथा ऐसे राजस्व मंडल क्षेत्र में केवल असमिया लोग ही भूमि के मालिक बन सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं तथा ऐसे भूमि का हस्तांतरण भी केवल असमिया लोगों तक ही होगा।
- ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित 4 क्षेत्रों का विशेष सर्वेक्षण करवाकर उन्हें सरकारी जमीन घोषित करना तथा बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए ऐसे जमीन को आवंटित करना।
- 1960 के असम राजभाषा एक्ट के तहत बराक घाटी, बोडोलैंड स्वास्थ्य जिले एवं पहाड़ी जिलों में 'असमिया' को आधारिक भाषा के रूप में बनाए रखना।

- राज्य बोर्ड एवं CBSC दोनों के तहत सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में आठवी या दसवीं तक असमिया को अनिवार्य विषय बनाना।
- स्वदेशी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साहित्य अकादमी का गठन करना।
- नव–वैष्णव मठ के लिए स्वायत्त प्राधिकरण बनाना तथा उन्हें वित्तीय मदद देना।

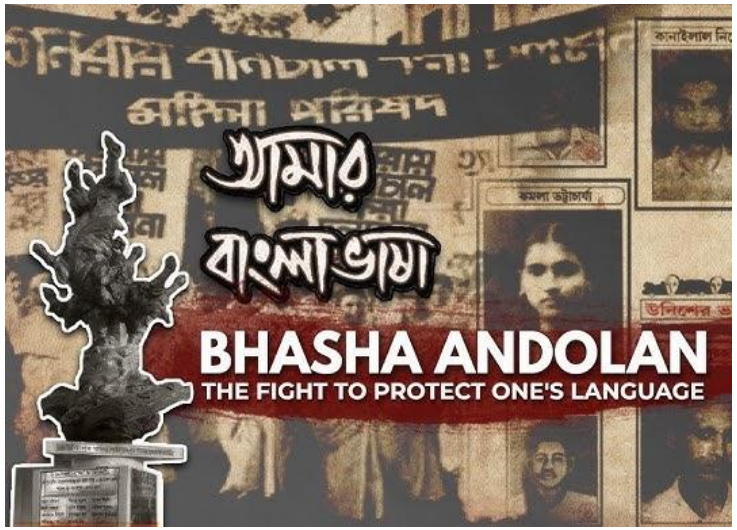

## छठी अनुसूची :

- संविधान के छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय एवं मिजोरम आते हैं, जिनके स्वायत्त आदिवासी परिषदों को कुछ विधायी एवं न्यायिक स्वायत्तता प्राप्त है।
- ऐसे में असम के छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र (बोडोलैंड, उत्तरी कछार एवं कार्बी आंगलोंग) यह तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वे ये 52 सिफारिशें लागू करेंगे या नहीं।

Result Mitra

## दरकिनार हुए सिफारिश :

- सरकार के कुछ प्रमुख सिफारिशों को लागू करने के संबंध में कोई घोषणा नहीं की, जिसमें शामिल है :
- संसद में असम की सीटों में 80–100% के लिए असमिया लोगों का आरक्षण,
- इसी अनुपात में राज्य विधानसभा एवं स्थानीय निकायों में असमिया लोगों के लिए आरक्षण,
- असम सरकार की नौकरियों में 80-100% एवं असम एवं निजी कंपनियों के संयुक्त उपक्रम में असमिया लोगों के लिए 70-100% का आरक्षण,

- असम विधान परिषद का गठन करना तथा इसमें असमिया लोगों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना,
- सीएम ने कहा कि ऐसी सिफारिशों में ज्यादातर सिफारिशों में केंद्र सरकार की या तो सहमति की आवश्यकता होगी या ये सिफारिश केंद्र के विशेष अधिकार क्षेत्र में है।
- असम समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं गृह मंत्री शंकर राव चौहान थे।